[ 26/3/2021]

प्रश्न सं. [ क्र. 6590 ]

कार्यालय आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन,
मध्यप्रदेश, ईदगाह हिल्स, भोपाल

क्र: एक/स्था.1/वि.स./12 /2021 / 1644 भोपाल, दिनांक 18-3-2021

प्रति,

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

विषय : विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक **6590** का उत्तर।

उपरोक्त विषयांकित विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक **6590** का उत्तर संलग्न कर 7 प्रतियों में प्रेषित है।

संलग्न: - उपरोक्तानुसार

संयुक्त नियंत्रक
खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्यप्रदेश, ईदगाह हिल्स, भोपाल

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक – **6590** का उत्तर

| क्र. | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| (क) | 1 अप्रैल 2020 से प्रश्न दिनांक तक औषधि निरीक्षक जिला राजगढ़ के विरूद्ध क्या-क्या शिकायतें किस-किस स्तर पर कब-कब प्राप्त हुई तथा प्राप्त शिकायतें के विरूद्ध कब-कब किन-किन के द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई ? | जानकारी परिशिष्ट "अ" अनुसार है |
| (ख) | **(ख)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या औषधि निरीक्षक जिला राजगढ़ के विरूद्ध जिला केमिस्ट एसोशियन व अन्य व्यक्तियों द्वारा गत माह विभागीय मंत्री जी, ड्रग कंट्रोलर एवं जिला प्रशासन को केमिस्ट लाइसेंस बनाने, नवीनीकरण व नवीन मेडीकल शॉप की स्वीकृति आदि कार्यो में स्वयं एवं अपने एजेन्ट के माध्यम से रिश्वत फोन पे, गूगल पे आदि से लेने एवं होटल रूम से कार्यालयीन गतिविधि संचालित करने संबंधित शिकायतें की गई थी ? यदि हां तो उक्त संबंध में प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही किन-किन के द्वारा की गई? | संबंधित के विरुद्ध 3 शिकायतें इस प्रशासन को प्राप्त हुई थी \| उक्त शिकायतों को जाँच हेतु कलेक्टर जिला राजगढ़ को प्रेषित की गयी है \| जिनके जाँच प्रतिवेदन अभी अप्राप्त हैं \| |
| (ग) | उपरोक्तानुसार क्या शासन उक्त शिकायतों की जांच साइबर विशेषज्ञ के माध्यम से करायें जाने एवं उक्त अधिकारी को निलंबित कर अन्यत्र पदस्थ करेगा ? यदि हां तो कब तक? | शिकायतों की प्राथमिक जांच में प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा \| समयसीमा बताया जाना संभव नहीं है \| |

संयुक्त नियंत्रक
खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्यप्रदेश

श्रीमति पुष्पा कपूर
सहायक ग्रेड II शाखा का नाम
खाद्य एवं औषधि प्रशासन
भोपाल (म. प्र.)

परिशिष्ट "अ"

औषधि निरीक्षक जिला राजगढ़ के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में जानकारी

| क्र. | शिकायतकर्ता का नाम जिनसे शिकायत प्राप्त हुई | विभाग में शिकायत प्राप्त होने का दिनांक | शिकायत का संक्षिप्त विषय | शिकायत पर प्राथमिक जाँच हेतु पत्र जारी करने का दिनांक | जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने का दिनांक | की गई कार्यवाही | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | जिला राजगढ़ औषधि विक्रेता संघ | 03.11.2020 | औषधि निरीक्षक के कार्य के प्रति गैर जिम्मेदार रवैया/ औषधि लाइसेंस रिन्यूअल के संबंध में | 09.03.2021 | अप्राप्त | जाँच प्रक्रियाधीन है | ---- |
| 2. | श्री जितेन्द्र रघुवंशी समाज सेवी, बीमाकुंज भोपाल म.प्र० | 18.02.2021 | भ्रष्टाचार में लिप्त लापरवाह शशिन्द्र कुमार रजक औषधि निरीक्षक राजगढ को तत्काल प्रभाव से हटाने बाबत | 12.03.2021 | अप्राप्त | जाँच प्रक्रियाधीन है | ---- |
| 3. | श्री जितेन्द्र रघुवंशी समाज सेवी, बीमाकुंज भोपाल म.प्र० | 08.02.2021 | शशिन्द्र कुमार रजक भ्रष्ट औषधि निरीक्षक को शीघ्र सेवा से हटाने बाबत | 12.03.2021 | अप्राप्त | जाँच प्रक्रियाधीन है | ---- |

श्रीमति पुष्पा कपूर
सहायक ग्रेड II शाखा का नाम
खाद्य एव औषधि प्रशासन
भोपाल (म प्र.)

अभिषेक दुबे
संयुक्त नियंत्रक
खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्यप्रदेश